1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25/अपील/2019	06.02.2019	26.07.2019

प्रहलाद, बद्री, खाना, गोरधन आ. श्री दयाल जाति मीणा निवासी माठा का बरडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)
— अपीलांटस

— बनाम —

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)
— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.10.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :—
अपीलांट की ओर से — श्री लोकेश शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 1346 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 1374/3915 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा किस्म सिवायचक वाके ग्राम गोठडा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 435/— रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की असत्य रिपोर्ट आधार मानकर अपीलान्ट

को बेदखल एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्टस को कोई विधिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलान्टस की उक्त परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये कोई सबूत व साक्ष्य का अवसर अपीलान्टस को नहीं दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजनेतिक द्वेषता के कारण अन्य लोगो के बहकावे में आकर यह निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी नहीं दिया गया है। पटवारी के बयानो पर जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पूर्व में कोई कब्जा नहीं था ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये अपीलान्टस से अवेध वसूली जुर्माना राशि वापिस अपीलान्टस को दिलवाई जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस ने खेतो पर जाने का रास्ता अवरूद कर रखा है पटवारी द्वारा समझाईश करने पर भी रास्ता नहीं खोला है। अपीलान्टस ने नाजायज रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ते को अवरूद्व किया है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर रास्ता अवरूद अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलान्टस ने कब्जा छोडने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड दिया हो। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खेतो पर जाने का रास्ता है जिसको अपीलान्टस द्वारा अवरूद्व किया गया है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्टस को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्टस मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्टस ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्टस उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/3

छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)